बच्चों को डैन्डेलियन फूल बहुत पसंद होते हैं। रोएंदार सफेद भाग पर फूंक मारने से इनके बीज उड़कर चारों तरफ फैल जाते हैं। डैन्डेलियन के बीज जमीन पर किसी नई जगह पर गिरने से पहले मीलों तक का सफर कर लेते हैं। लेकिन बच्चों की मदद के बिना भी बीज उड़ते हैं और शोधकर्ताओं ने हाल ही में पता लगाया है कि डैन्डेलियन किस प्रकार अपने बीजों का प्रकीर्णन (फैलने की प्रक्रिया) करते हैं। इससे यह समझने में भी मदद मिलेगी कि वे जलवायु परिवर्तन से कैसे डील करते हैं। हरेक बीज 100 के लगभग रोओं से जुड़ा होता है और दोनों को मिलकर पैराशूट जैसी संरचना बन जाती है, जिससे बीजों को फैलने में मदद मिलती है। जब बीज फूल के शीर्ष से अलग होते हैं तो पैराशूट जैसी संरचनाए हवा के सहारे बीज को उड़ा ले जाती हैं। शोध लेखक नाओमी नाकायामा (इम्पीरियल कॉलेज लंदन) ने कहा, ''हमने देखा कि सुबह जब कोहरा होता है तब डैन्डेलियन पैराशूट्स बंद रहते हैं पर जब धूप खिल जाती है तो वे खुल जाते हैं। नाओमी ने कहा, हमने अध्ययन किया कि डैन्डेलियन कैसे उड़ते हैं, फिर हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि पैराशूट के बंद होने से इनकी उड़ान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हमने यह देखने का प्रयास भी किया कि रुप बदलने की इस प्रक्रिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है। जब हवा में नमी होती है तो रोएंदार पैराशूट बंद हो जाता है, क्योंकि हवा में नमी का अर्थ है हवा धीमी होना। जब खुश्की होती है तो हवा भी तेज चलती है इस समय पैराशूट खुल जाते हैं और बीज उड़ जाते हैं। नेचर कम्युनिकेशन्स नामक जर्नल में छपे नतीजों के अनुसार शोधकर्ताओं ने पाया कि पैराशूट जैसी ये संरचनाएं गति देने वाली एक डिवाइस (प्रवर्तक) का प्रयोग करके खुलती बंद होती हैं। एक ऐसी डिवाइस जो एनर्जी व सिग्नल को गति में तब्दील करती है। लेकिन यह ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करती। यह जानने के बाद कि, बीज फैलाने के लिए डैन्डेलियन का उत्प्रेरक (ट्रिगर) क्या है, वैज्ञानिकों को यह समझने में आसानी होगी कि ये क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटते हैं। इससे वैज्ञानिकों को नए सॉफ्ट रोबॉट्स बनाने में मदद मिल सकती है। नाकायामा ने कहा, डैन्डेलियन इकोसिस्टम की नींव हैं, ये कीड़ों व पक्षियों का भोजन हैं और पर्यावरण के प्रति भी संवेदनशील हैं।

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री के यहां आयकर विभाग की कार्यवाही दूसरे दिन भी जारी रही

सर्च के दौरान फर्जी कम्पनियों से जुड़ी जानकारी सामने आई, आधा दर्जन जगहों से बड़ा कैश भी बरामद

- **गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव के कई रिश्तेदारों पर आयकर विभाग का शिकंजा कसा जा रहा है।**
- **ज्ञातव्य है, कि मिड डे मील में अनियमितताओं के मामले में राजस्थान के गृह राज्यमंत्री राजेन्द्र यादव के राजस्थान सहित तीन अन्य राज्यों में मौजूद ठिकानों पर आयकर की जांच चल रही है।**

जयपुर, 8 सितम्बर (का.प्र.)। मिड डे मील में अनियमितताओं के मामले में राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के राजस्थान सहित तीन अन्य राज्यों में कई ठिकानों पर चल रहा आयकर विभाग का सर्व दूसरे दिन भी जारी रहा। बताया जा रहा है कि, गृह राज्य मंत्री के कई नजदीकी रिश्तेदारों पर आयकर विभाग शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तक बड़ी संख्या में टैक्स चोरी के दस्तावेज बरामद हुए हैं। आईटी सर्च के दौरान फर्जी कंपनियों से जुड़ी जानकारी भी सामने आई है। आधा दर्जन जगहों से भी सर्च के दौरान बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है।

ऐसा माना जाता है कि, राजेन्द्र सिंहयादव मुख्यमंत्री गहलोत के बेहद विश्वासपात्र मंत्री हैं। राजेन्द्र यादव के कोटपुतली, जयपुर, गुडगांव, उत्तराखंड की फैक्ट्री और घरों पर यह सर्च चल रहा है। कोटपुतली स्थित राजस्थान फ्लैक्सिबल पैकिंग लिमिटेड कंपनी है, जहां पर आटा पैकिंग का काम किया जाता था। यहीं से अन्य जिलों और राज्यों में सप्लाई दी जाती थी। मिड डे मील योजना की सप्लाई में अनियमितता पाई गई, जिस पर आयकर विभाग की टीमें काम कर रही हैं। तापड़िया ग्रुप, जेवीएम फूड कंपनी और तांबी ग्रुप के खिलाफ भी आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई जारी हैं। जानकार सूत्रों की मानें तो इनकम टैक्स इस मामले में अनुमति देने वाले अधिकारियों और सलाहकारों पर भी शिकंजा कस सकती हैं। जानकारी के अनुसार सर्च ऑपरेशन के बाद शुक्रवार को आयकर विभाग की टीमें बैंक खातों और लॉकर की तलाशी ले सकती हैं।

इन आयकर छापों को लेकर गृह राज्य मंत्री राजेन्द्र यादव ने मीडिया के सामने फिर दोहराया कि, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनियमतत्ता नहीं की गई है। यह फैक्ट्री 1950 में उनके पिता ने लगाई थी, जिस पर मेहनत करके उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया गया। राजनीति में आने के बाद दोनों बेटे और भाई इस काम सम्भाल रहे हैं। साथ ही कुछ परिवार के लोग भी हैं,जो इस काम को कर रहे हैं। 700 से अधिक लोग कोटपूतली और एक हजार से अधिक लोग उत्तराखंड में काम करते हैं। आयकर को लेकर फाइल हर वर्ष तैयार होती है।

यादव ने यह भी कहा कि उनका कोई मिड डे मील का काम नहीं है। उनका केवल आटा मिल, कोल्ड स्टोरेज और दूसरी कम्पनी के माल का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ऐसी कोई चीज उनकी फैक्ट्री में नहीं है जो मिड डे मील से मिलती- जुलती हो।

नेताजी को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों आदि के लिए उनकी स्पष्ट प्रतिक्रिया होती थी- ये आज़ादी झूठ है।''

अधिक असाधारण बात यह है कि वामपंथियों ने अपने सैद्धान्तिक रूख को लेकर सुभाष चन्द्र बोस की भी आलोचना की थी और अब भी जो थोड़े बहुत सच्चे वामपंथी बचे हैं, वे अपने निजी वार्तालापों में तो जापान सरकार और जर्मनी के हिटलर का समर्थन मांगने को लेकर बोस की आलोचना करते हैं।

लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के शुरूआती दौर में जब सोवियत यूनियन ने जर्मनी के नाज़ी शासन से मेल जोल बढ़ ाना शुरू किया था उसे लेकर भारत के कम्युनिस्ट परेशान नहीं होते, उनकी नज़रों में यह एक रणनीतिक और चतुराई पूर्ण कदम था, लेकिन बोस इसी संदर्भ में घृणित थे।

भावनाओं की वर्षों तक की गई अनदेखी और स्वतंत्रता दिवस समारोह के बड़े कार्यक्रमों को ना मनाए जाने ने इन स्मृतियों को आधा तो विस्मृत कर ही दिया हैं।

नई पीढ़ ी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष अब एक तरफ से इतिहास के पन्नों में हैं युवा पीढ़ी जीवन के तय कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। युवा वर्ग स्वयं के लिए एक सहज जीवन सुनिश्चित करने की प्रतिस्पर्धा में है और इसी सोच से घिरा हुआ है।

स्वतंत्रता आंदोलन की फिर से यादें ताजा करने और दशकों तक इसका नेतृत्व करने वाले महापुरूषों की कहानियों को कहने की अब शायद ही कोई जरूरत हैं।

वास्तव में पहले स्कूल के बच्चों द्वारा पहले मार्चपास्ट किया जाना और स्वतंत्रता संघर्ष की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किया जाना, अब दुर्लभ वस्तु बन चुका हैं।

अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी के वी.सी. की नियुक्ति के खिलाफ सुनवाई जारी

- **वी.सी. डॉक्टर देव स्वरूप की ओर से पैरवी कर रहे वकील अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने कहा कि, क्योंकि केन्द्र सरकार ने प्रथम वी.सी. की नियुक्ति के विषय में कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाया है, इसलिए अदालत को राज्य सरकार द्वारा पारित एक्ट, (जिसके तहत प्रथम वी.सी. को नियुक्त किया गया है,) को केन्द्र सरकार के कानूनों के साथ समंजस्य बिठाकर पढ़ना चाहिये।**
- **वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने कहा कि यू.जी.सी. ने 2018 में लिखित गाईडलाइन पारित की थी, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि वी.सी. का चयन करने के लिए गठित सर्च कमेटी में यू.जी.सी. का प्रतिनिधि होना चाहिये, उन्होंने कहा कि अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी के वी.सी. की नियुक्ति में इस नियम को पूरी तरह अनदेखा किया गया और अयोग्य व्यक्ति को वी.सी. के पद पर चुना गया।**

जयपुर, (का.प्र.)। राजस्थान हाईकोर्ट में भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वी.सी. की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई आज भी जारी रही। अदालत ने शुक्रवार को भी दोपहर तीन बजे से सुनवाई जारी रखने को कहा।

सुनवाई के दौरान भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के वर्तमान वी.सी. की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने अदालत को कहा कि जिस एक्ट के तहत इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया है, उस एक्ट में प्रथम वी.सी. को चुनने के लिये बोर्ड मेम्बर्स के विषय में स्पष्ट जानकारी दी गई है।

जैसा कि विदित है कि प्रथम वी.सी. की चयन प्रक्रिया के लिये कॉलेज प्रशासन के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल हो ही नहीं सकते। इसीलिये प्रथम वी.सी. का चयन ट्रांजिशनल (अवस्था परिवर्तन कालिक) प्रक्रिया है, जब तक कि कॉलेज में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक और प्रशासन अधिकारी नियुक्त नहीं किये जाते और यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त नहीं की जाती। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि केंद्र के किसी भी कानून में प्रथम वी.सी. की नियक्ति के विषय में कोई कानून नहीं है, इसीलिये अदालत को राज्य सरकार द्वारा पारित भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019 को केंद्र के कानून के साथ सामंजस्य के साथ पढ़ना चाहिये।

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अदालत को बताया कि यू.जी.सी., जो सभी विश्वविद्यालयों के लिये मापदंड तय करती है, ने 2018 में नई गाइड लाइन जारी की थी जिसके तहत वी.सी. के चयन प्रकिया के संबंध में विस्तृत नियम कायदे लिखे गये हैं। इस गाइड लाइन में स्पष्ट लिखा है कि वी.सी.का चयन करने के लिये सर्च कमेटी में यू.जी.सी.का प्रतिनिधि भी शामिल होना चाहिये। उन्होंने बताया कि अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के वी.सी. के चयन के लिये गठित सर्च कमेटी/बोर्ड में यू.जी.सी. की 2018 की गाइड लाइन को बिलकुल अनदेखा कर दिया गया और यू.जी.सी. के प्रतिनिधि को इस सर्च कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसलिये एक ऐसे व्यक्ति को वी.सी. के पद पर चयनित किया गया, जो विधि स्नातक भी नहीं है। अदालत में इस मामले में शुक्रवार को भी बहस जारी रहेगी।

मजबूत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभावित है क्योंकि यह निर्यातों की तुलना में स्थानीय मांग पर अधिक निर्भर है। कई लोग इस उपलब्धि का श्रेय सरकार की नीतियों को भी देते हैं, जिनमें सार्वजनिक खर्च में दी गई वृद्धि तथा देनदारों व क्रेडिट गारन्टर्स को दी गई राहत शामिल है और जिसकी वजह से महंगाई को तुलनात्मक रूप से नियंत्रित करने और जनता को आर्थिक सदमे से उबारने में मदद मिली है। पश्चिमी देशों की इच्छा के विपरीत रूप से कम कीमत पर तेल खरीदने ने ऊर्जा की कीमत वृद्धि पर लगाम कसने में मदद की है।

डेटा: भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उसने अपने पूर्व उपनिवेशवादी ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है।

चुनौतियां: शिक्षित होकर प्रतिवर्ष नौकरी की तलाश में बेरोजगारों की जमात में जुड़े युवाओं को पर्याप्त नौकरियां देने में भारतीय अर्थव्यवस्था असमर्थ बनी हुई है और विश्लेषकों के अनुसार आर्थिक वृद्धि की लय को बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। आर्थिक वृद्धि के अगले वर्ष करीब 6 प्रतिशत नीचे गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है।

चावल के एक्सपोर्ट पर 20% एक्साइज़ ड्यूटी लगेगी

सरकार का कहना है कि, फसल खराबे के कारण बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला किया गया है

- **गौरतलब है कि, यू.पी. और बिहार में बारिश की भारी कमी के कारण इस बार चावल की फसल बहुत कम हुई है।**

नई दिल्ली, 8 सितंबर। भारत में चावल की कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने चावल के विभिन्न ग्रेड के निर्यात पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाया है। दरअसल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में औसत से कम बारिश की वजह से चावल के उत्पादन में दिक्कत आने की आशंका है।

हालांकि, इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि चावल के निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाने की योजना नहीं है। सरकार की ओर से कहा गया था कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक है। बता दें कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने 21.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था। हालांकि, इस साल कम बारिश के कारण धान की बुवाई का रकबा 6 प्रतिशत घटकर 367.55 लाख हेक्टेयर रह गया है। चालू खरीफ सीजन के 26 अगस्त तक, झारखंड में 10.51 लाख हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल (4.62 लाख हेक्टेयर), छत्तीसगढ़ (3.45 लाख हेक्टेयर), उत्तर प्रदेश (2.63 लाख हेक्टेयर), बिहार से धान का कम रकबा बताया गया है।

डॉनल्ड ट्रम्प ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपब्लिक का 63 प्रतिशत को ट्रम्प को एक बड़ा व्यक्तित्व बने रहना देखना चाहता है, उसमें 39 प्रतिशत वे हैं जो ट्रम्प को वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। शेष 23 प्रतिशत का कहना है कि जहां वे ट्रम्प के एक राष्ट्रीय राजनीतिक व्यक्तित्व रूप में बने रहना पसन्द करेंगे, लेकिन वहीं वे यह भी चाहेंगे कि ट्रम्प अपने कद का उपयोग राष्ट्रपति पद के ऐसे किसी अन्य उम्मीदवार का समर्थन करने में करे जो उनके विचारों से सहमति रखता हो।

जहाँ स्नातक एवं इससे ज्यादा ऊँची शिक्षा प्राप्त आधे रिपब्लिकन कहते हैं ट्रम्प एक बड़ी राजनैतिक हस्ती बने रहने चाहिये, वहीं कम शिक्षित 69 प्रतिशत रिपब्लिकन ऐसा चाहते हैं। कॉलेज स्नातकों की अपेक्षा, कॉलेज शिक्षा तक पहुँचे तथा और भी कम शिक्षित रिपब्लिकन इस बात को ज्यादा कहते हैं कि ट्रम्प को राष्ट्रपति चुनाव एक बार फिर लड़ना चाहिये। कम पढ़े-लिखे 45 प्रतिशत लोग कहते हैं कि 2024 में राष्ट्रपति चुनाव स्वयं ट्रम्प को ही लड़ना चाहिये, जबकि ऐसा कहने वाले रिपब्लिकन कॉलेज ग्रेजुएट केवल 26 प्रतिशत ही हैं। अनुदार तथा रूढ़िवादी रिपब्लिकनों की तुलना में नरमपंथी तथा उदार रिपब्लिकन ऐसा कम ही कहते हैं कि ट्रम्प को राष्ट्रीय राजनैतिक परिदृश्य में बने रहना चाहिये। (52 प्रतिशत बनाम 69 प्रतिशत)।

जहाँ तक बाइडन का प्रश्न है, डेमोक्रेट 2024 में राष्ट्रपति की उम्र तथा पुनरुत्थान रिपब्लिकन पार्टी का सामना करने की उनकी सामर्थ्य को लेकर बहुत चिन्तित हैं। राष्ट्रपति 79 वर्ष के हो चुके हैं तथा अब तक के सर्वाधिक उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। अगर वे दोबारा चुनाव लड़ते हैं तथा चुनाव जीत जाते हैं, तो जनवरी 2025 में, जब वे राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरु करेंगे, उनकी उम्र 82 वर्ष हो चुकी होगी।

पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट इस बात पर जोर दे रही है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख मुद्दों से संबंधित प्रमुख विधेयकों को पारित कराने में उनके बार-बार विफल होने से राष्ट्रपति के समर्थन की रेटिंग गिर रही है। प्रमुख डेमोक्रेटिक मुद्दों में शामिल हैं- मतदान अधिकार टैक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश तथा जलवायु परिवर्तन-फंडिंग। इसके अतिरिक्त, उनकी प्रशासनिक कमजोरी का संदेश भी जनता तक जा रही रहा है। लम्बी खिंचती जा रही कोविड-19 महामारी, महँगाई तथा यूक्रेन युद्ध जैसे अन्य वैश्विक मुद्दे, जो बाइडन की पकड़ से बाहर हो गये हैं, के कारण भी उपभोक्ता-आत्मविश्वास कमजोर हो गया है तथा पूरे देश की मन:स्थिति निराशावादी हो गई है।

सी.ए.ए...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

समक्ष लंबित हैं। इनमें कहा गया है कि सी.ए.ए. गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान करने में उदारता बरतता है और इस प्रोसैस को फास्ट-ट्रैक करता है, लेकिन यह धर्म आधारित भेदभाव को प्रोत्साहित करता है, जिसकी भारतीय संविधान में अनुमति नहीं है।

सरकार ने वर्ष 2020 में प्रस्तुत अपने शपथ-पत्र में कहा था कि ''सी.ए.ए. एक विशिष्ट संशोधन है जिसका तात्पर्य अतिविशेष देशों में मौजूद विशेष समस्या का निराकरण करना है, पानी कि अति विशेष देशों में धर्मशासित संवैधानिक स्थिति के कारण हो रहा धार्मिक उत्पीड़न और भारत में पहले से रह रहे मुस्लिमों का इससे कोई लेना देना नहीं है।''

शपथ पत्र में आगे स्पष्ट किया गया था कि संशोधन से पूर्व में विद्यमान रहे किसी भी नागरिक के अधिकार पर सी.ए.ए. अतिक्रमण नहीं करता है और किसी भी रुप में किसी भी भारतीय नागरिक के विधिक, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित करने का इसका मन्तव्य नहीं है।

'सिखों की पगड़ी और कृपाण से हिज़ाब की तुलना उचित नहीं'

सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ताओं ने दलील दी कि, संवैधानिक योजनाओं में हिज़ाब का कोई उल्लेख नहीं है

- **याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने दलील दी कि, इसका कहां उल्लेख है कि, हिज़ाब पहनने ना पहनने से किसी की इज्जत कम हो रही है। लेकिन राज्य की सुरक्षा का अधिकार वहां की सरकारों को है, इस हेतु वे जैसा चाहें उचित फैसला ले सकती हैं।**

नयी दिल्ली,8 सितंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सिखों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी की तुलना मुस्लिम महिलाओं के हिज़ाब के इस्तेमाल से करना उचित नहीं होगा। शीर्ष न्यायालय ने यह टिप्पणी शैक्षणिक संस्थानों में हिज़ाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले विभिन्न अपीलकर्ताओं द्वारा उसके समक्ष दायर अपीलों पर सुनवाई के दौरान की।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने पीठ का नेतृत्व करते हुए कहा कि इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि पगड़ी और कृपाण सिखों के लिए आवश्यक है। इसलिए, सिखों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी से तुलना करना अनुचित होगा क्योंकि सिखों के लिए पांच-चिजों को अनिवार्य माना गया है।

याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वकील निजामुद्दीन पाशा की सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने इसका अवलोकन किया। फ्रांस के विपरीत, यहां सिख लड़के स्कूल जाने के लिए पगड़ी पहनते हैं और इससे स्कूल के अनुशासन में कोई बाधा नहीं आती है।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने पाशा से कहा कि कृपया हिज़ाब की तुलना सिख धर्म से न करें क्योंकि यह (सिख धर्म) पूरी तरह से भारतीय संस्कृति में समाया हुआ है। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि राज्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानून बना सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक सामाजिक कल्याण कानून है और फिर वे कहते हैं कि हिज़ाब को प्रतिबंधित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध प्रत्यक्ष और निकट होना चाहिए न कि अप्रत्यक्ष या अनुमानित।

'इतना गुस्सा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर इतनी चिंतित क्यों थी।

मैं विदेशी मामलों और दिपक्षीय मसलों पर बात करना नहीं चाहती हूं पर मैंने देखा कि जब भी मुझे किसी बाहरी देश ने निमंत्रण दिया है भारत सरकार ने उसमें रूकावट डाली है। मैं जानना चाहती हूं केन्द्र सरकार को विदेशी अतिथियों से मेरे मिलने में किस बात का डर है।''

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की एक विशेष मीटिंग को संबोधित करते हुये कहा, ''बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं लेकिन (केन्द्र) ने उनकी यात्रा का हिस्सा बनने के लिये मुझे आमंत्रित नहीं किया।''

ऐसा लगता है कि ऐसी दो घटनाओं, जिन्हें उनके ''अपमान'' के रूप में देखा जा रहा है, ने बनर्जी को ऐसा कहने के लिये बाध्य कर दिया है। बनर्जी ने कहा कि वे तथा पड़ोसी राज्यों के अन्य मुख्यमंत्री 2024 में भाजपा को हराने के लिये एकजुट होंगे।

पार्टी मीटिंग में, उन्होंने अपने प्रिय नारे ''खेला होबे'' को दोहराया तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष किया- ''आपके ''मन की बात'' शीघ्र ही ''मन की व्यथा'' बन जायेगी।''

बंगाल की मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस नेताओं का आव्हान किया कि वे भाजपा के खिलाफ संघर्ष के लिये सक्रिय हो जायें।

उन्होंने अपने पार्टीजनों को हार्दिक साधुवाद देते हुये तथा उनकी प्रशंसा करते हुये कहा, ''उन्होंने हर विधायक को 10 करोड़ रू. की पेशकश करते हुये, सरकार गिराने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें रँगे हाथों पकड़ लिया था। हमने झारखंड बचा लिया। ''खेला होवे।'' हम पंचायत चुनाव शान्ति पूर्वक सम्पन्न करेंगे, और फिर देखना, 2024 के चुनावों के लिये हम किस तरह खेल खेलते हैं।''

ममता बजर्नी ने कहा, ''खेल की योजना बंगाल में बनेगी। अब हम सब साथ हैं। नीतीश कुमार हैं, अखिलेश यादव हैं, हेमन्त सोरेन हैं। मैं हूँ। हम सब मित्र एक साथ है। सभी दल एकजुट हैं और 280-300 सीटों का उनका घमंड ही उनकी सजा बन जायेगा। याद रखिये, राजीव गांधी के पास 400 सीटें थी, लेकिन वे रही नहीं।''

उन्होंने कहा कि केवल पाँच राज्यों में ही, जिनकी सूची उन्होंने बनाई है, भाजपा अपनी 100 सीटें गँवाएगी। उन्होंने कहा, ''सरकार कैसे बना पायेंगे।''

झारखंड के तीन कांग्रेस विधायक 30 जुलाई को उसक समय गिरफ्तार कर लिये गये थे, जब उनकी कार पश्चिम बंगाल के हावड़ा नगर में इन्टरसैप्ट की गई थी तथा करीब 49 लाख रू. का कैश उनके पास गया था। उन विधायकों ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि यह पैसा उनके राज्य में आयोजित होने वाले एक आदिवासी उत्सव के लिये साड़ियाँ खरीदने के लिये है।

कांग्रेस, जो झारखंड की जे.एम.एम. के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है, ने दावा किया था कि भाजपा, विधायकों को 10 करोड़ रू. तथा मंत्री पद की पेशकश करे हुये, हेमन्त सोरेन सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी।

ममता बनर्जी ने कहा, ''भाजपा सोचती है कि वह हमें सी.बी.आई. तथा प्रवर्तन निदेशालय की धमकियों से डरा सकती है। वह इस प्रकार की चालबाजी जितना ज्यादा करेंगे, अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों तथा 2024 के लोकसभा चुनावों में, वह हार के उतनी ही ज्यादा नजदीक जायेगी।''

उन्होंने कहा, ''99 प्रतिशत टी.एम.सी. साफ-स्वच्छ, ईमानदार तथा सामाजिक कार्य के प्रति समर्पित है। अगर एक-दो लोग कुछ गलत करते भी हैं, तो उनसे निबटने के लिये कानून है। पार्टी (ऐसे लोगों के खिलाफ) कार्यवाही करेगी।''

कर्नाटक में भी भाषा विवाद...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भेज दिया गया। चैक का विवरण, जिसमें अंक भी शामिल थे, कन्नड़ भाषा में अंकित था।

हुआ यह कि चैक में भाषा का अवरोध आ गया तथा सम्भवत: इसी कारण, कन्नड़ भाषा में लिखे अंकों की पहचान में कुछ त्रुटि हो गई। अंकों की गलत पहचान के फलस्वरूप, चैक एस.बी.आई. की कलियाल शाखा ने डिसऑनर कर दिया। इसके बाद, इनामदार ने कंजूमर फोरम में इसकी शिकायत की तथा बुधवार को फोरम ने एस.बी.आई. को सेवा की कमी का दोषी माना तथा बैंक पर जुर्माना कर दिया। फोरम में, अध्यक्ष इशप्पा भूते के अतिरिक्त, दो सदस्य वी.ए.बोलिशेट्टी तथा पी.सी. हीरेमत थे।

कन्नड़ भाषा-समर्थक ऐक्टिविस्टों ने कंजूमर फोरम के इस निर्णय के स्वागत में जश्न मनाए। ये लोग, उनके अनुसार ''हिन्दी के दबदबे तथा हिन्दी थोपने'' के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वे ऐसे बहुत से उदाहरण देते हैं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा केन्द्र सकार के दफ्तरों में किस तरह से ''कन्नड़ भाषा में बोलने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया।'' कन्नड़ डैवलपमैंट अथॉरिटी के चेयरमैन टी.एस. नागभरन ने कहा कि यह फैसला एक नज़ीर बन सकता है। उन्होंने कहा, ''पी.एस.यू. तथा केन्द्रीय ऑफिस क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान नहीं करते।''

बैंक सेवाओं के लिये दी जाने वाली अर्जियाँ अगर कन्नड़ में लिखी होती हैं, तो या तो वे अटका दी जाती हैं या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता तथा ऐसी ग्रामीण लोगों, जो हिन्दी या अंग्रेजी नहीं जानते, को प्राय: अपमानजनक तरीके वहाँ से चले जाने के लिये कह दिया जाता हैं। एक कन्नड़ ऐक्टिविस्ट ने कहा कि चूँकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बहुत से कर्मचारी कर्नाटक से बाहर के होते हैं, इसलिये उन्हें स्थानीय भाषा कन्नड़ नहीं आती, किन्तु दुख की बात यह है कि वे स्थानीय भाषा सीखने की कोशिश भी नहीं करते।

उसे ऐक्टिविस्ट ने कहा कि कई बैंकों में, चालान हिन्दी तथा अंग्रेजी में होते हैं तथा इसलिये बहुत से ग्रामीण लोगों के सामने मार्गदर्शन की समस्या आती हैं।

वस्तुत: कर्नाटक में भी भाषा का मुद्दा बार-बार जोर पकड़ लेता है, हालांकि इस मामले में तमिलनाडु ज्यादा बदनाम है क्योंकि वहाँ हिन्दी थोपे जाने के खिलाफ 1960 के दशक में बड़े आन्दोलन हुये थे। दरअसल उस समय की कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु में हिन्दी थोपने की कोशिश की थी तथा उसे चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। उस समय के बाद, कांग्रेस तमिलनाडु की सत्ता में कभी नही आ सकी। आज भी, कांग्रेस को अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिये दोनों में से किसी की एक द्रविड़ पार्टी पर निर्भर रहना पड़ता हैं।

कर्नाटक में भी जब-तब हिन्दी-विरोधी आन्दोलन हो जाते हैं। 2017 में, एक कन्नड़-समर्थक ग्रुप, जिसका नाम ''कर्नाटक रक्षाना वेदिके'' था, बैंगलुरू के एक मॉल में स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे सूचना-पट तोड़ दिये थे और इसके बाद राज्य में हिन्दी-विरोधी माहौल जोर पकड़ गया था। बेंगलुरू मेट्रो में हिन्दी के साइन बोर्डो का विरोध कर रहे ऐक्टिविस्टों का प्रश्न था- दिल्ली में कन्नड़ भाषा के साइन बोर्ड क्यों नहीं हैं, जबकि यहाँ हिन्दी में साइन बोर्ड लगाने पड़ते हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908